


फर्दमौका

आज दिनांक 8.08.2023 को ग्राम बर के खसरा संख्या 526/3
रकबा 0-2428 किस्म बा-अ. खातेदार जयप्रकाश 5/ योकराज जातव
कौम बामन का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
कब्जा काशत है।

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।



सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।


- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी
2. गत नक्शा की प्रति
3. वर्तमान नक्शा की प्रति

हस्ताक्षर गवाहान

भाहनलाल



राजेश 4-1-1
निपाबी




जलेश्वर



रिपोर्ट मू अ. निरीक्षक

पटवारी हल्का बर की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच करली
गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर
तरमीम किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी
9.8.2023




MVK



श्री
हस्ताक्षर मू अ. निरीक्षक
10/08/2023

क्रमांक/२५/१३१/२३/२५२२ दत् १७.०८.२३

क्रमांक- तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशांषा दिनांक-
रिपोर्ट पटवारी हल्का वर जांच भू अ. नि. वर
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशांषा की जाती है।



तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज.)

मुकदमा नंबर २२९/२०२३

आदेश

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशांषा के अनुसार ग्राम वर के खसरा संख्या २६/१ रकबा २५२४ की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
०२/११/२०२३
सहायक उपखण्ड अधिकारी

GICMS Number 2023/353

सेवामें .

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
रायपुर

मुकदमा नंबर 22A/2023
दर्ज दिनांक 02/11/2023

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार
जरिये भूमिधारी
तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थी

1. मंगलाराम पुत्र चोकरराम खारि
नाथ चोकरराम खातेदार
 2. मोहनराम पुत्र चोकरराम
 3. सुलसीराम 4. चोकरराम
- जाति.....नाथ.....निवासी.....

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरुस्ती

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी मंगलाराम मोहनराम सुलसीराम पु. निवासी.....खर.....के नाम से ग्राम खर.....पटवार मंडल खर..... तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रिगेशन गलत स्थान पर सहवन से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का खर.....एवं भू अ.नि. खर.....की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।

04
तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज.)